प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –393/2023

अनवान : –

1. मांगीराम पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. काशीराम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. विनोद कुमार पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
3. मीरा पुत्री काशीराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
4. कृष्णा पुत्री काशीराम काशीराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांक: 30.05.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 88/71 की कुल 20.3100 हैक्ट भूमि स्थित है जिसके वादी के दादा रामचन्द्र खातेदार काश्तकार थे।

वादी के दादा रामचन्द्र की फौतदगी के बाद उनके चारों पुत्रों पर उक्त वाद भूमि औद हुई तथा उक्त वादी भूमि विरासतन चारों पुत्रगणों पर औद हुई एवं प्रतिवादी स0 1 के हिस्से रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 88/71 की कुल 20.3100 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि आयी। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी तथा प्रतिवादी सं0 2 ता 3 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है।

प्रतिवादीया स0 3 व 4 जो कि वादी एवं प्रतिवादी स0 2 की बहिन एवं प्रतिवादी स0 1 की पुत्री है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी एवं प्रतिवादी स0 1 व 2 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग रोही मौजा सोनड़ी के खाता स0 88/71 की कुल 20.3100 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा यानि 5.075 हैक्ट भूमि में वादी अकेला 1.771 हैक्ट भूमि व प्रतिवादी स0 1 अकेला 1.533 हैक्ट एवं प्रतिवादी स0 2 अकेला 1.771 हैक्ट भूमि [illegible]दार काश्तकार है इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवा राजस्व रिकार्ड [illegible] अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:35:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है।

साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में पेश होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीया स0 1 ता 4 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 88/71 की कुल 20.3100 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा शपथ पत्र बाबत सदस्य एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। प्रतिवादीया स0 3 व 4 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 88/71 की कुल 20.3100 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है, में 1.771 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 1.771 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी [illegible] घोषित किया जाता है एवं शेष भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत [illegible] रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- [illegible] मीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:35:19 IST
Reason: SelfAttested

भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 30/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–सोनड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:35:19 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या –393/2023
अनवान : –

1. मांगीराम पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. काशीराम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. विनोद कुमार पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
3. मीरा पुत्री काशीराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
4. कृष्णा पुत्री काशीराम काशीराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 393 सन 2023 निर्णय दिनांक 30.05.2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 88/71 की कुल 20.3100 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है, में 1.771 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 1.771 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–सोनड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:35:19 IST
Reason: SelfAttested